


भारतीय संविधान की विशेषताएं

(i) प्रस्तावना (Preamble) / उद्देशिका

प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आसुब की भूमिका है जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप व संविधान के ~~बड़े~~ लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है।

⇒ नेहरू ने 13 Dec 1946 की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा जिसे संविधान सभा ने 22 Jan 1947 की स्वीकार कर लिया। और इसे उद्देशिका कहा गया और प्रस्तावना की जगह दी गयी।

प्रस्तावना को सम्बन्धित ^{मूल्यपूर्ण} कुछ बातें / उद्देशिका का वर्णन



सत्ता का स्त्रोत या लोक प्रभुता

हम भारत के लोग - - - - -

